TIJER || ISSN 2349-9249 || © March 2023 Volume 10, Issue 3 || www.tijer.org

पर्यावरण और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति

डॉ. प्रियंका चक्रवर्ती
सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान
शासकीय स्नातक महाविद्यालय, नैनपुर
जिला–मण्डला (म0प्र0)

वर्तमान विष्व राजनीति में पर्यावरण अन्तर्राष्ट्रीय संबधों का एक महत्वपूर्ण घटक है। विषेष रूप से जलवायु परिर्वतन को देखते हुए यह राजनयिक हलकों में उच्च प्राथमिकता का विषय बन गया है। यदि ग्रीन हाउस गैस उर्त्सजन को रोकने के लिए जरूरी कदम नही लिया जाता है तो राज्यों को बढ़ते समुन्द्रो के नीचे गायब होने और भविष्य के दषकों में पानी की आपूर्ति और खाद्यान प्रणालियों के नष्ट होने का बड़ा खतरा उभर रहा है। पर्यावरण संबधी मामले समकालिन शैक्षिक अध्ययन और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए केन्द्रीय विषय बन गये। शीत युद्ध के बाद के विष्लेषण के लिये प्राथमिकता वाले मामले के रूप में पर्यावरण उभरा क्योंकि विद्वान, सरंक्षण और संसाधनों के मामले से चितिंत है।

आलोचको का तर्क है कि पर्यावरण प्रबंधन की व्यवस्थाएँ तकनीकी मामलों पर ध्यान केन्द्रित करती है, अक्सर ये वैषविक अन्याय की जटिल प्रक्रियाओं और वैषविक राजनिती में सीमांत आबादी के विस्थापन का संकुचित विष्लेषण करते है। परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय संबंधो और संज्ञानात्क क्षेत्रों में शैक्षिक बहसों की एक तीव्र श्रंखला प्रारम्भ हुयी जिसका प्रमुख उदे्ष्य शासन के लिये नीतियों की अनुपालाना में पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण के बहुपक्षीय रूप से स्वीकार्यता एवं अस्वीकार्यता की कसौटी पर परीक्षण करना रहा है। ''पर्यावरण शब्द को मानवीय भाग्य को आकार देने के प्रकृति की भूमिका'' और मानवता के प्राकृतिक स्थितियों को बदले के प्रयासों के परिपेक्ष्य में अध्ययन के लिए शामिल किया गया। ''ऐतिहासिक अनुसंधान'' और ''वैज्ञानिक मूल्याकंन'' दोनों की प्रर्यावरण चर्चाओं ने इस बात पर अधिक ध्यान दिया है कि शक्तिषाली एवं समृद्ध राष्ट्र विष्व राजनीति में मानव की समृद्धि के लिए व्यवस्था के प्रारूप का नेतृत्व इन राज्यों के द्वारा किया जायें।[1]

राजनीति और विज्ञान

औद्योगिक क्रांति के परिणामस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिक प्रगति हुयी। नवीन मषीनों के आविष्कारों में विभिन्न उद्योगो मे मानव श्रम को कम करने का प्रयास किया जिससे उत्पादन अधिक और लागत को कम किया जा सके। खनन उद्योग, मोटर इंजन उद्योगो मे इन आविष्कारों से विषेष प्रगति की। पिछले 200 वर्षों में हमने विज्ञान का प्रयोग, उद्योग परिवहन और संचार क्रांतियों के माध्यम से मानव संस्कृति के मूल स्वरूप के बदलने के लिए उपयोग किया है। समस्याँ यह है कि हम निरतंर सामूहिक चुनौतियों से निपटने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग के प्रयासों में असफल हो रहे है। दूसरे शब्दों में समस्या विज्ञान नहीं है, यह विज्ञान और नीति या विज्ञान राजनीति दोनों की समस्याँ है। जलवायु परिवर्तन इस समस्या का एक महत्वूर्ण उदारहण है। मूल वैज्ञानिक मामला है कि मानव गतिविधियों के कारण जलवायु बदल रही है।इसमे सबसे अधिक योगदान विज्ञान और कमजोर नीति निर्माण है। घरेलू पर्यावरणीय चिताओं ने राजनीतिक दबाव के संयोजन से प्रदुषण और प्रकृति संरक्षण के प्रति बढ़ती चिंता तथा 1970 के दषक में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठनों के उदय का कारण रहा।

''परमाणु हथियारों के परीक्षणों ने पृथ्वी की चारों तरफ की हवाओं के प्रदुषित किया, स्पष्ट है कि वैष्विक वातारवरण एक परस्पर जुड़ी हुयी व्यवस्था थी। ये चिताएँ ही 1960 के दषक में शुरूआत में आंषिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का कारण बन गया। इसके साथ यह संधि महाषक्तियों के बीच हथियारों की दौड़ को बाधित करने का प्रयास भी था।[2]

यह भी स्पष्ट है कि वैज्ञानिक प्रयासों विषेष रूप से मौसम विज्ञान और मौसम पूर्वानुमान के लिये उपग्रहों के आविष्कार से मानव गतिविधियों के प्रति वैष्विक संवेदनषलीता के उदय में महत्वपूर्ण भूमिक अदा की है। जब अंटार्कटिक महाद्वीप पर वैज्ञानिकों द्वारा शोध व अध्ययन कर यह पुष्टि की समताप मंडल में स्थित ओजोन परत नष्ट हो रही है, तो इसके लिए क्लोरोफ्लूरोकार्बन (सीएफसी) गैस को जिम्मेदार बताया गया। ओजोन परत के क्षीण होने से सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरण (यूवी) पृथ्वी पर एक खतरा बन सकती है। नीतिगत रूप से यह विषय अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का बन गया इसके फलस्वरूप 1985 के वियना सम्मेलन बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता हुआ जिसका मूल उदे्ष्य ओजान परत के संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण किया जाये। वियना कन्वेंषन के अन्तर्गत मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में लागु किया गया जिसमें कलोराफ्लोरा कार्बन (सीएफसी) हाइड्रोक्लोराफ्लोरोकार्बन (एचसीएफसी) हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एसएफसी) रसायन पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के नियम बनाये गये।विकासषील राष्ट्रों को आर्थिक व तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहुपक्षीय फंड बनाया गया। यह 1992 मे सयुंक्त राष्ट्र सम्मेलन में पर्यावरण और विकास पर सहमत हुए सिद्धांन्त का प्रतीक है, जो देषों को वैष्विक आम (ग्लोबल कॉमन) की सुरक्षा और प्रबंधन की एक ‘‘आम लेकिन विभेदित जिम्मेदारी है।’’

वैष्विक पर्यावरण

1972 में स्टॉकहोम मे मानव पर्यावरण पर सयुंक्त राष्ट्र सम्मेलन बुलाया गया सम्मेलन की अनौपचारिक पृष्टभूमि की रिर्पोट बाबरा वार्ड और रेने दुबोस (1972) ने ‘‘केवल एक पृथ्वी’’ के नाम लिखी गई थी। इस सम्मेलन का वारसा संगठन के देषों द्वारा बहिष्कार किया गया और कुछ प्रमुख राज्यों ने ही भाग लिया था, लेकिन वैष्विक स्तर पर काफी ध्यान आकर्षित किया। ’’ भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सम्मेलन मे भाग लिया वैष्विक पर्यावरणीय मुद्दो पर सकारात्मक पक्ष रखा उन्होनें कहां गरीब और उत्तर औपनिवेषक राज्यों की विकासकी आकाक्षांओं का दमन करने के लिए पर्यावरण मुद्दों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। इसके परिणामस्वरूप भारत में 1972 में पर्यावरण नियोजन और समन्वय संबधों पर राष्ट्रीय समिति की स्थापना की गई।[3]

1972 मे ही भारत में वाइल्ड लाइफ एक्ट लागू किया गया। 1976 में भातीय संविधान में संषोधन किया गया जिसमें पर्यावरण संरक्षण को संवैधानिक आधार मिला। 42 वें संविधान संषोधन (1976) में पर्यावरण सरंक्षण के लिए राज्य और व्यक्तिगत नागरिक के लिए मौलिक कर्तव्य की रचना की गयी। शायद इस सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण विरासत यह है कि इन मामलों को अन्तर्राष्ट्रीय एजेडे पर दृढ़ता से रखा गया। इसके बाद मानव जाति की ’आम विरासत’ (कॉमन हैरिटेज) जो महासागर, अटार्कटिका महाद्वीप, बाह्य अंतरिक्ष और वायुमण्डल आदि को पर्यावरण के संवेदनषीलता के दृष्टिकोण से देखा गया। 1987 में ‘पर्यावरण और हमारा भविष्य’ से रिर्पोट प्रकाषित की गयी जिसे अक्सर ब्रडलैड रिपोट’ के नाम से जाना जाता है। इसने रियो डी में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (1992, पृथ्वी सम्मेलन) के लिए मंच तैयार किया। यहां जलवायु परिवर्तन पर सयुंक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेषन (युएनएफसीसीसी) शुरू किया गया थ। पर्यावरण के प्रति चिंताओं ने शीत युद्ध उत्पन्न हुयी विभिन्न घटनाओं को भूलाने का प्रयास किया क्योंकि विकसित और विकासषील देष इस वैष्विक मुद्दे पर एकमत होते प्रतित हुये।

अन्तर्राष्ट्रीय संबधो की मुख्य चिंता युद्ध और इसके खतरों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संघर्षो रोकने के लिए किस प्रकार संबंधों का निर्माण किया जाये यही महत्वपूर्ण रहा ।षीत युद्ध के संघर्ष के बाद सिद्धान्तवादियों ने युद्ध के स्त्रोत के रूप में पर्यावरण संघर्ष और संसाधान संघर्ष की संभावनएं देखी। राजनितिक अर्थव्यवस्था के साथ वैष्विक असमानताओं और उत्पादन एवं व्यापार की

किस प्रकार वैष्विक स्तर पर पर्यावरणीय समस्याओं को उत्पन्न कर रहा है, किस प्रकार भूमि उपयोग और संसाधनों का अतिक्रमण हो रहा है पर ध्यान दिया गया।

‘‘विकासषील और अल्प विकसित देषों ने अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण आन्दोलन को संदेह की दृष्टि से दखा। इनका मत था की पर्यावरण मुद्दे का निर्माण इन देषो को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया गया है। स्पष्ट रूप से कई मामलों में पर्यावरणीय उपायों का उपयोग विकास परियोजनाओं के लिए एक औचित्य के रूप में किया जाता है, जो सार्वभौमिक कारणों के नाम पर गरीब लोगों के लिए विस्थापन और पीड़ा का कारण बनते है।[4]

वैष्विक पर्यावरण मुद्दे पर उत्तर और दक्षिण महत्वपूर्ण भूमिक अदा कर रहे है लेकिन सौदेबाजी की मेज पर भिन्न हितों और ऐजेन्डों को लाते है। एक असमान वैष्विक आर्थिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्थाओं के अतंर्राष्ट्रीकरण ने संसाधनों पर तीसरी दुनिया के देषों के नियंत्रण का काम कर दिया है,इस कारण वैष्विक पर्यावरण वार्ता के उनकी रणनीतियों को प्रभावित किया है।

पर्यावरण सुरक्षा

1980 के दषक के संदर्भ में ओजोन के बारे में बढ़ती चिताएँ चेरनौबिल की घटना, ब्राजील में वनों की कटाई, भोपाल मे रासायनिक आपदा तथा जलवायु परिवर्तन में उत्पन्न नवीन चिताएं, मौसम संबधी व्यवधान और पानी की कमी, तापमान का बढ़ना, खाद्यान उत्पादन में बदलते मौसम की वजह से कमी, इन सभी पर्यावरण असुरक्षाओं को इंगित करना मुष्किल नहीं था। विष्व पर्यावरण एवं विकास आयोग (1987) ने सुझाव दिया कि संसाधनों बढ़ती कमी और लापरवाही पूर्ण उपयोग से विवादों का जन्म हो सकता है। इसलिये ‘‘सतत विकास’’ को एक आवष्यक रोग निरोधक समझा जाता है।

‘‘थामस होमर डिक्सन (1991) में पर्यावरण संबधी चिताओं को शीत युद्ध के बाद राष्ट्र राज्यों की सुरक्षा को चुनौती देरे वाला बताया है। इससे पहले यह एक गंभीर सुरक्षा मुद्दे के रूप में उभरे विद्वानों को इस विषय पर गभीर विष्लेषण की आवष्यकता है, ताकि इन खतरों से बचा जा सके।[5]

पर्यावरणीय परिवर्तन से कैसे तीव्र संघर्ष हो सकता? विषेषज्ञों का प्रस्ताव है कि पर्यावरण परिवर्तन राज्यों या विष्व स्तर पर सत्ताके सन्तुलन में बदलाव कर सकता है, अस्थिरता उत्पन्न कर सकता है, जो युद्ध से आगे निकल सकती है। वैष्विक पर्यावरणीय क्षति उत्तरी और दक्षिण के बीच असमानता को बढ़ाता है। गर्मियों के तापमान से आर्कटिक या अधिक सुलभ संसाधनों में नए बर्फ मुक्त समुन्द्री लेनो पर विवाद हो सकता है। इन सभी पहलुओं के मध्य नजर जलवायु की चर्चाओं पर तेजी से बदलती हुई दुनिया के संभावित सरुक्षा प्रभावों पर दुबारा गौर किया है, यह कार्य सुरक्षा प्रावधानों में आधुनिक राज्यों की भूमिका पर पुनर्विचार कर सुझाव देता है।

1990 के दषक मे पर्यावरण संघर्ष ने यह समझने पर अहम भूमिका निभायी है कि कैसे वैष्विक राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर्यावरण परिवर्तन से प्रभावित हुई है। ‘‘ यह तेजी से स्पष्ट हो गया है कि विकास की प्रक्रिया अक्सर ग्रामीण समूदाय के जीवन के पारपंरिक तरीके के लिए बहुत विघटनकारी होती है। इसे संसाधन परियोजनाओं के आसपास धीमी हिंसा के संदर्भ में समझा जाता है।[6]

जलवायु

प्रकृति पर मानव प्रभाव स्पष्ट है। हाल में मानवजनित ग्रीन हाउस गैसों का उर्त्सजन अधिक तीव्र गति से हुआ है। परिणामस्वरूप जलवायु (जिएचजी) परिवर्तन का प्रभाव मानव व प्राकृतिक पर अधिक पड़ा है।

यह तेजी से स्पष्ट हो रहा है की जलवायु परिवर्तन राजनीतिक, संस्थागत और पारिस्थितक रूप से वर्तमान समय की चुनौतियों में से एक है। जलवायु परिवर्तन से पृथ्वी मानव व प्राकृतिक का तापमान बढ़ेगा परिणावस्वरूप आइसलैण्ड, अटार्कटिका

की बर्फ पिघलेगी, महासागरों अपेक्षाकृत गर्म होगें। जससे महासागरों का विस्तार होगा और महासागरों का जल स्तर बढ़ेगा। जलवायु के वार्मिग से भारी तुफान और चरम मौसम अनेक रूपों के कारण कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस तरह समुन्द्र स्तर बढ़ने से एक अरब से अधिक लोग प्रभावित होगे विषेषकर एषिया महाद्वीप के देषों में प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। ग्रीन हाउस गैसों (जीएचजी) के निरंतर उत्सर्जन के कारण जलवायु प्रणाली के सभी घटकों में लम्बे समय तक चलने वाले बदलावों के कारण पारिस्थितिक तंत्र के लिए गंभीर व्यापाक और अपरिवर्तनीय प्रभाव की बढ़ती जा रही है। जलवायु परिवर्तन को सीमित करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उर्त्सजन में पर्याप्त और निरतंर कटौती की आवष्यकता होगी।[7]

जलवायु परिवर्तन एक वैष्विक समस्या है। इसलिये प्रभावी कार्यवाही की आवष्यकता है। सरकारे नीतिगत निर्णय लेती है, इसलिये घरेलू राजनीति के साथ–साथ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति भी शामिल है। जलवायु परिवर्तन पर प्रतिक्रया देने लिए नीतियों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था अलग–अलग नीतियो के आधार पर भिन्न होती है। अलग–अलग नीतियों के सेट में अलग–अलग नीतिगत फ्रेम उत्पन्न होते है। महत्वपूर्ण यह की प्रत्येक मुद्दा घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति से प्रभावित होता है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जलवायु परिवर्तन से संबधि भिन्न मुद्दे है–

1. **अनुकूलन–**जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन होने के लिए सामाजिक और अन्य परिवर्तन किये जाने चाहिए जैसे कृषि और शहरी नियोजन में परिर्वतन। यह अपेक्षाकृत अचानक परिर्वतन के लिए सामजिक और जैविक प्रणालियों की सुभेघता को कम करने की कोषिष करता हैं। अनुकूलन विषेष रूप से विकासषील देषों में महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन देषों में ग्लोबल वार्मिग के नकरात्मक प्रभाव अधिक पड़ने की सम्भावना है। प्रभावषील देषों के लिए जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए विकसीत देषों द्वारा 2020 तक 100 अरब डॉलर प्रतिवर्ष अनुदान के रूप में राषि देने का वादा कैनकन (सीओपी 16) में स्थापित निधी के लिये किया गया लेकिन विकसित देषों द्वारा अभी तक इस वादे का पूरा नहीं किया गया "संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंषन ऑन क्लाइमेंट चेंज (यूएनएफसीसी) द्वारा संचालित वैष्विक पर्यावरण सुविधा। (जीईएफ) जिसमें कम विकसीत देषों और छोटे द्वीप राज्यों को अनुकूनल के लिए कुछ धन प्रदान करता हैं। जीईएफ के तहत जीईएफ ट्रट फंड, द लीस्ट डेवलमेंट कंट्रीज फंड (एलडीसीएफ) और स्पेषल क्लाइमेंट चेंज फंड (एससीसीएफ) जीईएफ जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के वित्तपोषण लक्ष्यों को पूरा करने का के लिए काम करते हैं।[8]
2. **वित्तः** जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना करने के लिए वित्त तंत्र का निर्माण जिसमें सार्वजनिक और निजी स्त्रोंतों से या विकसित देषों द्वारा विकासषील देषों को वित्त सहायता के रूप में। यह कोष जलवायु परिवर्तन की अनुकूलन और मिटिगेषन परियोजनाओं के लिए वित्त सहायता प्रदान करने के लिये हैं। "क्षमता निर्माण, अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से कम कार्बन, उत्सर्जन तकनीकों का निर्माण किया जा सके। सामान्य लेकिन विभेदकारी जिम्मेदारी और क्षमताओं के सिद्धान्त के अनुसार विकसित देष (अनुषेध–11 पक्ष) विकासषील देषों की सहायता के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करना हैं। यूएनएफसीसी के उदेष्यों को लागू करने के लिए में सभी सरकारें, हितधारक विकासषील देषों की वित्तीय आवष्यकताओं का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस प्रक्रिया स्वरूप कोपहेगेन सम्मेलन में विकसित देषों ने एक निष्चित राषि प्रदान करने का आष्वासन दिया।"[9]

तकनीकी हस्तांतरणः–1970 के दषक से ही विकासषील देष तकनीकी हस्तांतरण की माँग उठा रहे हैं। लेकिन विकसीत देष तकनीकी हस्तांतरण के समर्थक नहीं हैं। वर्तमान बौद्विक अधिकारों के युग में तकनीकी हस्तांतरण का मुद्दा अधिक जटिल हो गया, तकनीकी आयात करने में लागत अधिक हैं। जिसका भार वहन करने में विकासषील देष सक्षम नही हैं। "दिसम्बर 2010 में कैनकन समझौता द्वारा स्थापित प्रौद्यौगिक तंत्र क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी जरूरतों के आकलन पर आधारित कन्वेंषन हैं।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी, नवाचार को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिक रोड़ मैप्स एक्शन प्लानों के उपयोग को उत्प्रेरित करना हैं। इस प्रौद्योगिकी तंत्र में प्रौद्योगिकी कार्यकारी समिति (टी ई सी) और जलवायु प्रौद्योगिकी केंन्द्र और नेटवर्क (सीटीसीएन) शामिल हैं। प्रौद्योगिकी जो कम कार्बन का उत्सर्जन करे, ऊर्जा दक्षता को बढ़ा बव2 उत्र्सजन को कम कर सकें। प्रौद्योगिकियों जलवायु परिवर्तन को समयोजित या कम करने के लिए आवष्यक है।[10]

हानि और क्षतिः–कैनकन अनुकूलन फ्रेमवर्क 2010 के भाग के रूप में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के लिए विषेष रूप से कमजोर विकासषील देषों में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जुड़े नुकसान और क्षति के संबंध में दृष्टिकोण पर विचार कि गया। इस मुद्दे पर दो साल के विचार–विमर्ष के बाद सीओपी 19 (नवबंर 2013) में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जुड़े नुकसान और क्षति के लिए "वारसा इंटरनेषनल मैकनिज्म की स्थापना की गयी। जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि क्षेत्र सबसे सुभेध हैं। इसका 22 प्रतिषत आर्थिक प्रभाव विकासषीन देषों पर पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओं) के निष्कर्ष बताते है कि 2003–13 तक 78 आपदाओं के कारण 140 बिलियन अमरीकी डॉलर का नुकसान हुआ था। कृषि और इसके उप–वर्गो ने 30 अरब डॉलर के नुकसान की क्षति कायम रखी।[11]

अल्पीकरण (मिटिगेषन):– उत्सर्जन परिसीमा का निर्धारण आमतौर पर ग्रीन हाउस गैसों (जीएचजी) के मानव (एन्थ्रोपोजेनिक) उत्सर्जन में कटौती से होगी। मिटिगेषन नीतियाँ मानव–प्ररित ग्लोबल वार्मिग से जुड़े जोखिम को काफी कम कर सकती हैं। आईपीसी 2014 की आंकलन रिर्पाट के अनुसार मिटिगेंषन सार्वजनिक रूप से अच्छा है। यदि प्रत्येक एजेंट (व्यक्तिगत, संस्था या देष) स्वतंत्र रूप से कार्य करता हैं तो प्रभावी जलवायु शमन प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस के लिए सामूहिक कार्यवाही और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की अनिवार्यता हैं। 11 दिसम्बर 1997 में सीओपी 3 के सम्मेलन में क्योंटो प्रोटोकॉल क्रियान्वित किया गया जो 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। "क्योंटों प्रोटोकॉल सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों" के सिद्धान्त पर आधारित था।[12]

क्योटो प्रोटोकॉल की समय सीमा समाप्त होने पर विष्व राजनीति में जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए पेरिस समझौता (2015) लागू हुआ। जो कि एक लम्बे और ऐतिहासिक वार्ताओं का परिणाम था पेरिस जलवायु समझौता जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेम वर्क कन्वेंषन (यूएनएफसीसी) के भीतर समझौता हैं, जो कि ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन के शमन, अनुकूलन और वित्त से सम्बधित हैं। सीओपी 21 (क्राफ्रेंस ऑफ पार्टिज) में 196 देषों के प्रतिनिधियों ने 12 दिसम्बर 2015 को आम सहमति से अपनाया। पेरिस समझौते में प्रत्येक देष ग्लोबल वार्मिग को कम करने के लिए अपने स्वंय के योगदान को निर्धारित करता हैं, योजनाओं को नियमित रूप से यूएनएफसीसी को रिर्पाट करना होगा। एक देष के लिए किसी विषिष्ट तारीख तक एक विषिष्ट लक्ष्य को निर्धारित करने की बाध्यता नहीं हैं, लेकिन प्रत्येक लक्ष्य को पहले निर्धारित लक्ष्यों से आगे जाना होगा।[13]

भारत का दृष्टिकोण

भारत के संदर्भ में विचार करे तो भारत ने समस्या का सबसे बड़ा कारण औद्यौगिक क्रांति माना जिसका लाभ पष्चिम देषों ने लिया है। समकालिन पर्यावरणीय समस्याएँ पष्चिम द्वारा संसाधनों के अवैज्ञानिक रूप से दोहन का कारण माना। इसलिये ग्रीन हाउस गैसों के उर्त्सजन को लेकर अपने विकासात्मक अवसरों के निषेक्ष का विरोध करता है। भारत ने लम्बे समय से कहा है कि प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामलें में भारत बहुत पिछे है। भारत विष्व के अन्य विकाषलील देषों और उभरते देषों के साथ विकसित दुनिया के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सुधार का समर्थन किया है।

भारत एक जिम्मेदार सॉफ्ट पॉवर होने और भविष्य की एक सुपर बनने की इच्छा रखते हुए भारत द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अषंदान (आईएनजीसी) जारी किया गया। जिसमें 2005 के स्तर से 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद में उत्सर्जन

की तीव्रता में 33 से 35 प्रतिषत तक कमी। 2030 तक अतिरिक्त जंगल और वृक्ष के जरिये 2.5 से 3 अरब टन कार्बनडाई आक्साईड का सिंक बनायेगा। गैर जीवाषम ईंधन से लगभग 40 प्रतिषत संचयी विद्युत क्षमता को हासिल करना।

इसके अलावा भारत ने एक वैष्विक सौर गठंबधन सौर नीति और आवदेन के लिए अतंर्राष्ट्रीय ऐजेंसी (आईएनएसपीए) बनाने का निर्णय किया जिसमें विष्व के मकर और कर्क रेखा के बीच स्थित उष्णकटिबंधीय देषो को जोड़ने पर विषेष बल दिया गया। वनों की कटाई और वन में गिरावट व सरंक्षण की भुमिका जंगलों के स्थायी प्रबधंन और विकासषील देषों में कार्बन वन शेयरों में वृद्धि (आरईडीडी+) से उर्त्सजन कम करनौ आरईडीडी(+) के साथ भारत ने बहुपक्षीय और बहुमंचीयरूप से जोड़ा है। इसमें 2012 में जैव विविधता पर सम्मेलन की मेजबानी की थी। इसके साथ यह जलवायु परिवर्तन सतत विकास रेगिस्तान, जैव विविधता आदि वैष्विक मंचो के साथ सक्रिया रूप से जुड़ने के लिये आषावादी है।

दक्षिण एषिया में असमान विकास की एक तस्वीर है जो कि अस्तित्वहीन बनने रहती है। पारिस्थितिक संतुलन के अधिकांष संकेतक एक नकारात्मक प्रवृत्ति दिखाते है हालांकि कई विष्लेषकों ने यह बहुत उचित रूप से वर्णित किया है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर नही हुई है। तत्काल नीतिगत पहल सरकारी और गैर सरकारी अभिकरणो के तहत कार्यान्वित करने की आवष्यकता है। पर्यावरण को संबोधित करने के लिए दक्षिण एषिया में संस्थागत विकास का इतिहास संस्थाओं की संख्या को देखते हुये काफी संतोषजनक प्रतीत होता है।गैर–सरकारी पहल भी उनके प्रतीकात्मक उपस्थिति के संदर्भ में उल्लेखनीय रूप से महत्वपूर्ण है। इस समय के लिए आवष्यक है दोनों राजनीतिक संस्थाओं और नागरिक समाज के लिए पर्यावरणीय कानूनों के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन की और बढ़ने की इच्छा है क्योंकि अतंत जीवन की गुणवत्ता वाले ताजा पानी और स्वच्छ हवा दोनों ही नकारात्मक आर्थिक विकास से अधिक महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

राज्य की सार्वभौमिकता विष्व व्यवस्था का एक सिद्धान्त है, जो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आधार देती हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि पर्यावरण मामलों में सीमाओं का कोई सम्मान नहीं हैं। जलवायु परिवर्तन को वैष्विक मामलों में संस्थागत रूप से प्राथमिकता की गई हैं। सबसे पहले यह एक मजबूत वैज्ञानिक सहमति है कि मानव व्यवहार के कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ा हैं। विकासषील देषों ने जलवायु अनुकूलन और शमन को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण नए संसाधनों का प्रदर्षन किया हैं। विष्व स्वास्थ संगठन (डब्लूएचओ), संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) जैसी बहुपक्षीय संस्थाओं ने पर्यावरणीय मुद्दों को संस्थागत रूप से व्यवस्थित किया हैं।पर्यावरण एक सार्वभौमिक समस्या है। अतः इसके लिए विष्व स्तर पर सहयोग की आवष्यकता है। इस दिषा में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रकृति पर प्रभाव डालने वाले और पर्यावरणीय समस्याओं को गति प्रदान करने वाले सामाजिक– आर्थिक और तकनीकी प्रतिमानों पर विचार की जरूरत है। यह सत्य है कि उत्त–दक्षिणी गोलार्द्ध मे व्यापक विषमता के कारण विष्व पर्यावरणीय समस्याओं का निरंतर राजनीतिकरण हुआ है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र को सहभागी होगा जिसमें वैष्विक दृष्टिकोण को पानी, जलवायु, मिट्टी, भोजन, जैव–विविधता और ऊर्जा के लिए टिकाऊ नीतियों का निर्माण हो सके। स्थानीय राष्ट्रीय और अन्तर्राट्रीय स्तर बातचीत के एजेन्डों को समग्र दृष्टिकोण की आवष्यकता है। 21वीं सदी में एक स्थायी और शांतिपूर्ण समाज के सामान्य तथ्यों को प्राप्त करने के लिए प्रषिक्षित राजनीतिक कर्ताओं और एक महत्वपूर्ण सहभागी नागरिक समाज को समक्ष बनाने की अति आवष्यकता है। मनुष्य पर्यावरण का अभिन्न अंग है और पर्यावरण विनाष के लिए भी वह जिम्मेदार है। अतः लोगों को भी इसके विकल्पों और समाधानों की खोज में भाग लेना होगा।

संदर्भ

1 .वोल्फगैंगसैकसऔरलिम्न संतराः फेयर फ्यूचर रिर्सोसेज कॉन्फिलिक्ट सिक्योरिटी एण्ड ग्लोबल जस्टिस ए रिर्पोट ऑफ द वुपरटल इंस्टीटयूषन फॉर क्लाइमेंट एनवायरमेंन्ट एण्ड एनर्जी जेड बुक्स

2 . संओरोस एस मरिन (2013)एन्डेजर्रड एटमोस्पीयर वर्जेविम ए ग्लोबलकॉमन, द युनिवर्सिटीऑफसाउथक्लोलिनाप्रेस

3. विस्वाल तपन (2016) अंतर्राष्ट्रीय संबंध (द्वितीय संस्करण) ओरियंट ब्लैकस्वॉन 2016 नई दिल्ली

4. मेरिन ए.एल. मिलर (1991) द थर्ड वर्ल्ड इन ग्लोबल एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स, लीन रेंनेर पब्लिकेसन

5. थॉमस एफ होमर डिक्सन (1991) ऑन द थस्टहोल एनवायरमेंट चेंज ए कॉज ऑफ अॅक्यूट कॉनफ्लिक्ट, इटरनेषलन सिक्यूरोटी (जर्नल)च्नइप 1991

6. निक्सन रोब (2013) स्ला वॉयलेस एण्ड द एनवायरमेंन्ट ऑफ द पुअर हार्वड यूनिवर्सिटी

7. रिपोर्ट इंटरगर्वमेन्ट पैनल ऑन क्लाइमेंट चेंज (आईपीसीसी)वार्षिक रिर्पोट (2015)

8. युनाइटेड नेषनस्, क्लाइमेंट चेंज '' वाट इज अडेपषन वेबसाइ एसेक्स एट 24 अगस्त 2017

9. आईबीआईडी

10.आईबीआईडी

11.डाउन टू अर्थ, क्लाइमेंट इनडूस्ड लॉस एण्ड डेमेज कन्टीन्यूस टू बी नेगलेटड ग्लोबली (14 नवम्बर 2017)

12.विस्वाल तपन 2016 अन्तर्राष्ट्रीय संबध ओरियट ब्लैक स्वान नई दिल्ली।

13.द हिन्दू (राष्ट्रीय समाचार पत्र अंगेजी) पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेंट चेंज (17 दिसम्बर 2017)